

पत्रांक: 5074

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई
/वि०वि०ख०१०/उरई/
कार्यालय ज्ञाप

दिनांक: 29/09/23

एतद्वारा निगम हित में आवेदनकर्ताओं द्वारा पूर्ण योजना के अन्तर्गत (LMV-5) में भार स्वीकृत हेतु प्रस्तुत आवेदन के क्रम में विद्युत उपभोक्ताओं का निम्नानुसार वांछित विद्या (LMV-5) में भार इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि आवेदकों को पूर्ण जमा योजना में ही संयोजन निर्गत किया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल पर किए गये है।

क० सं०	आवेदक का नाम व पता	संयोजन निर्गमन स्थल	विद्या	हेड	स्वीकृत किया जाने वाला भार किलोवाट/किलोवाट	भार निर्गमन का विभव	एलिकेशन नम्बर	दिनांक
1	श्री लक्ष्मण पुत्र श्री रोशन के संयोजन 8400083427	मौजा खुटैला, जालौन मो०न० 8400083427	LMV-5	मध्यमको लघु सिवाइ योजना	10.00	0.40 किलोवाट विभव LT पर	1008327735	27.09.2023
2	श्री किशुनलाल पुत्र श्री तुलसीराम के संयोजन स्थल मौजा सैन्दाली, कोय मो०न० 7007295005	मौजा सैन्दाली, कोय मो०न० 7007295005	LMV-5	पूर्ण जमा योजना	10.00	0.40 किलोवाट विभव LT पर	1008328087	28.09.2023
3	रूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री जवाहर के संयोजन स्थल मौजा कुठोन्दा, डकोर मो०न० 6307621374	मौजा कुठोन्दा, डकोर मो०न० 6307621374	LMV-5	पूर्ण जमा योजना	10.00	0.40 किलोवाट विभव LT पर	1008328102	28.09.2023

उक्त विद्युत संयोजन का निर्गमन विद्युत वितरण संसति 2005 व विद्युत अधिनियम 2003 के प्रतिबन्धाधीन होगा।

पत्रांक: 5074

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/वि०वि०ख०१०/उरई/

29/09/23

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई

- 1 उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड, उरई / ग्रामीण / कोय. को इस आशय के साथ प्रेषित है कि संयोजन स्थल का निरीक्षण करके प्राक्कलन पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 2 सम्बन्धित अवर अभियन्ता
- 3 खण्डीय लेखाकार (कार्य), विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई।
- 4 कट फाइल।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई